



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-27032026-271321
CG-OR-E-27032026-271321

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1462]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2026/चैत्र 3, 1948

No. 1462]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2026/CHAITRA 3, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 24 मार्च, 2026

(रेलवे अधिनियम एक हजार नौ सौ नवासी(1989) की धारा बीस ए(20A) के तहत सूचना)

का.आ. 1527(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989 (24/89) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में "खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर बरुवा(BAV)-मंदसा रोड(MMS)(बरुवा यार्ड) स्टेशनों के बीच KM.654/11-13 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 352 का निर्माण", इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति उठा सकेगा।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (काला) राजस्व मंडलीय अधिकारी (आरडीओ)/ पलासा को खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर बरुवा(BAV)-मंदसा रोड(MMS)(बरुवा यार्ड) स्टेशनों के बीच KM.654/11-13 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 352 का निर्माण के संबंध में लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसे आपत्ति के आधार पर निर्धारित किये जाएंगे और सक्षम

प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या फिर किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से, सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसे आपत्तियां सुनने के पश्चात् और आवश्यक आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम के 20D की उप-धारा(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश को अंतिम माना जाएगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में “खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापटनम मुख्य लाइन पर बरुवा(BAV)-मंदसा रोड(MMS)(बरुवा यार्ड) स्टेशनों के बीच KM.654/11-13 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 352 का निर्माण” के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (अनुलग्नक-1) यहां संलग्न है।

जिले का नाम:-श्रीकाकुलम

अनुलग्नक-1

भूमि अनुसूची							
परियोजना का नाम:-आरओबी-352 का निर्माण							
जिले का नाम:-श्रीकाकुलम, प्रभाग का नाम:-खोर्दा रोड, मंडल का नाम:-सोंपेटा							
क्रम सं.	गाँव का नाम	मंडल	सर्वेक्षण/एलपीएम संख्या	कुल भूमि विस्तार	कुल आवश्यक एकड़ में	भूमि का किस्म	भूमि का प्रकार
1	कोर्लाम	सोंपेटा	518	3.11	0.06	पोरम्बोक	सरकारी जमीन
2	कोर्लाम	सोंपेटा	797	2.77	0.01	सूखा	निजी ज़मीन
3	कोर्लाम	सोंपेटा	801	4.29	0.28	सूखा	निजी ज़मीन
4	कोर्लाम	सोंपेटा	802	0.29	0.029	सूखा	निजी ज़मीन
5	कोर्लाम	सोंपेटा	803	0.96	0.062	पोरम्बोक	सरकारी जमीन
6	कोर्लाम	सोंपेटा	806	3.4	0.278	पोरम्बोक	सरकारी जमीन
7	कोर्लाम	सोंपेटा	1152	0.28	0.086	पोरम्बोक	सरकारी जमीन
8	कोर्लाम	सोंपेटा	1153	0.79	0.036	पोरम्बोक	सरकारी जमीन
9	कोर्लाम	सोंपेटा	1154	0.5	0.014	सूखा	निजी ज़मीन
10	कोर्लाम	सोंपेटा	1155	0.03	0.001	सूखा	निजी ज़मीन
11	कोर्लाम	सोंपेटा	1177	36.49	1.65	पोरम्बोक	सरकारी जमीन
12	कोर्लाम	सोंपेटा	1183	0.03	0.003	सूखा	निजी ज़मीन
13	कोर्लाम	सोंपेटा	1184	0.07	0.066	सूखा	निजी ज़मीन
14	कोर्लाम	सोंपेटा	1185	0.09	0.018	सूखा	निजी ज़मीन
15	कोर्लाम	सोंपेटा	1190	0.34	0.002	सूखा	निजी ज़मीन
16	कोर्लाम	सोंपेटा	1192	0.07	0.004	सूखा	निजी ज़मीन
17	पलवलसा	सोंपेटा	33-1A	0.55	0.423	पोरम्बोक	सरकारी जमीन
18	पलवलसा	सोंपेटा	33-16B	0.32	0.001	सूखा	निजी ज़मीन
19	पलवलसा	सोंपेटा	33-17B	0.315	0.004	सूखा	निजी ज़मीन

20	पलवलसा	सोंपेटा	33-18B	0.006	0.006	सूखा	निजी ज़मीन
21	पलवलसा	सोंपेटा	33-19	0.15	0.003	सूखा	निजी ज़मीन
22	पलवलसा	सोंपेटा	33-23	0.17	0.013	सूखा	निजी ज़मीन
23	पलवलसा	सोंपेटा	33-24	0.006	0.001	सूखा	निजी ज़मीन
24	पलवलसा	सोंपेटा	33-25	0.03	0.013	सूखा	निजी ज़मीन
25	पलवलसा	सोंपेटा	33-36B	0.027	0.027	सूखा	निजी ज़मीन
26	पलवलसा	सोंपेटा	33-37B	0.36	0.045	सूखा	निजी ज़मीन
27	पलवलसा	सोंपेटा	33-39	0.09	0.001	सूखा	निजी ज़मीन
28	पलवलसा	सोंपेटा	33-40	0.05	0.043	सूखा	निजी ज़मीन
29	पलवलसा	सोंपेटा	33-41B	0.18	0.071	सूखा	निजी ज़मीन
30	पलवलसा	सोंपेटा	33-42B	0.067	0.074	सूखा	निजी ज़मीन
31	पलवलसा	सोंपेटा	33-43	0.05	0.042	सूखा	निजी ज़मीन
32	पलवलसा	सोंपेटा	33-44B	0.190	0.12	सूखा	निजी ज़मीन
33	पलवलसा	सोंपेटा	33-47B	0.005	0.005	सूखा	निजी ज़मीन
34	पलवलसा	सोंपेटा	33-48B	0.001	0.001	सूखा	निजी ज़मीन
35	पलवलसा	सोंपेटा	34-15	0.320	0.18	सूखा	निजी ज़मीन
36	पलवलसा	सोंपेटा	31-16	0.770	0.05	सूखा	निजी ज़मीन
		कुल			3.722		

भूमि का सारांश					
अधिग्रहित भूमि					
गाँव का नाम	सरकारी ज़मीन	निजी ज़मीन			कुल अधिग्रहित भूमि
		गीला	सूखा	मानवारी	
कोलाम	2.086	0	0.513	0	2.599
पलवलसा	0.423	0	0.7	0	1.123
कुल	2.509	0	1.213	0	3.722

[फा.सं. सीएओ/सी/आरएसपी/बीबीएस/2026/आरओबी संख्या-352/20ए]

अजय कुमार समाल, मुख्य अभियंता (निर्माण-II)

MINISTRY OF RAILWAYS**[East Coast Railway (Construction)]****NOTIFICATION**

Bhubaneswar, the 24th March, 2026

Notice under Section 20A of the Railways Act-,1989

S.O. 1527(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (hereinafter referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied

that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for the execution of Special Railway Project, namely, “Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.352 at Km.654/11-13 between Baruva(BAV)-Mandasa Rd.(MMS)(Baruva Yard) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Road Division.” in Srikakulum district in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of (30) thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under Sub-Section(1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely Competent Authority for Land Acquisition (CALA) & Revenue Divisional Officer(RDO), Palasa for Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.352 at Km.654/11-13 between Baruva(BAV)-Mandasa Rd.(MMS)(Baruva Yard) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Road Division in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) attached here with to be acquired with or without structures, for Special Railway Project, namely “Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.352 at Km.654/11-13 between Baruva(BAV)-Mandasa Rd.(MMS)(Baruva Yard) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Road Division)” in Srikakulum district of Andhra Pradesh state.

Name of the District:-Srikakulam

ANNEXURE-1

LAND SCHEDULE							
Name of the Project:-Construction of ROB No.352							
Name of the District:-Srikakulum, Name of the Division:- Khurda Rd.,Name of the Mandal:-Sompeta							
SL. NO.	NAME OF VILLAGE	NAME OF MANDAL	LPM/ SURVEY NO	TOTAL AREA IN ACRES	ACQUIRED LAND In ACRES	TYPE OF LAND	CLASIFICATION OF LAND
1	KORLAM	SOMPETA	518	3.11	0.06	PORAMBOKE	GOVERNMENT
2	KORLAM	SOMPETA	797	2.77	0.01	DRY	PRIVATE
3	KORLAM	SOMPETA	801	4.29	0.28	DRY	PRIVATE
4	KORLAM	SOMPETA	802	0.29	0.029	DRY	PRIVATE
5	KORLAM	SOMPETA	803	0.96	0.062	PORAMBOKE	GOVERNMENT
6	KORLAM	SOMPETA	806	3.4	0.278	PORAMBOKE	GOVERNMENT
7	KORLAM	SOMPETA	1152	0.28	0.086	PORAMBOKE	GOVERNMENT
8	KORLAM	SOMPETA	1153	0.79	0.036	PORAMBOKE	GOVERNMENT
9	KORLAM	SOMPETA	1154	0.5	0.014	DRY	PRIVATE
10	KORLAM	SOMPETA	1155	0.03	0.001	DRY	PRIVATE
11	KORLAM	SOMPETA	1177	36.49	1.65	PORAMBOKE	GOVERNMENT
12	KORLAM	SOMPETA	1183	0.03	0.003	DRY	PRIVATE
13	KORLAM	SOMPETA	1184	0.07	0.066	DRY	PRIVATE
14	KORLAM	SOMPETA	1185	0.09	0.018	DRY	PRIVATE
15	KORLAM	SOMPETA	1190	0.34	0.002	DRY	PRIVATE

16	KORLAM	SOMPETA	1192	0.07	0.004	DRY	PRIVATE
17	PALAVALASA	SOMPETA	33-1A	0.55	0.423	PORAMBOKE	GOVERNMENT
18	PALAVALASA	SOMPETA	33-16B	0.32	0.001	DRY	PRIVATE
19	PALAVALASA	SOMPETA	33-17B	0.315	0.004	DRY	PRIVATE
20	PALAVALASA	SOMPETA	33-18B	0.006	0.006	DRY	PRIVATE
21	PALAVALASA	SOMPETA	33-19	0.15	0.003	DRY	PRIVATE
22	PALAVALASA	SOMPETA	33-23	0.17	0.013	DRY	PRIVATE
23	PALAVALASA	SOMPETA	33-24	0.006	0.001	DRY	PRIVATE
24	PALAVALASA	SOMPETA	33-25	0.03	0.013	DRY	PRIVATE
25	PALAVALASA	SOMPETA	33-36B	0.027	0.027	DRY	PRIVATE
26	PALAVALASA	SOMPETA	33-37B	0.36	0.045	DRY	PRIVATE
27	PALAVALASA	SOMPETA	33-39	0.09	0.001	DRY	PRIVATE
28	PALAVALASA	SOMPETA	33-40	0.05	0.043	DRY	PRIVATE
29	PALAVALASA	SOMPETA	33-41B	0.18	0.071	DRY	PRIVATE
30	PALAVALASA	SOMPETA	33-42B	0.067	0.074	DRY	PRIVATE
31	PALAVALASA	SOMPETA	33-43	0.05	0.042	DRY	PRIVATE
32	PALAVALASA	SOMPETA	33-44B	0.190	0.12	DRY	PRIVATE
33	PALAVALASA	SOMPETA	33-47B	0.005	0.005	DRY	PRIVATE
34	PALAVALASA	SOMPETA	33-48B	0.001	0.001	DRY	PRIVATE
35	PALAVALASA	SOMPETA	34-15	0.320	0.18	DRY	PRIVATE
36	PALAVALASA	SOMPETA	31-16	0.770	0.05	DRY	PRIVATE
		TOTAL			3.722		

ABSTRACT					
ACQUIRED LAND					
VILLAGE NAME	GOVERNMENT LAND	PRIVATE LAND			TOTAL ACQUIRED LAND EXTENT
		WET	DRY	MANAVARI	
KORLAM	2.086	0	0.513	0	2.599
PALAVALASA	0.423	0	0.7	0	1.123
TOTAL	2.509	0	1.213	0	3.722

[F. No. CAO/C/RSP/BBS/2026/ROB-352/20A/]

AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Construction-II)